फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

श्री गणपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी बनाम अशोक वगै0

किस्म मुकदमा– दावा तकासमा मु0नं0– 187 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार एवं सही है जिनसे वादी पूर्णत सहमत है इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादी प्रकाश की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम गुर्जर द्वारा निवेदन किया गया कि वे भी विभाजन प्रस्ताव से पूर्णत सहमत है एवं तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को ही अंतिम डिक्री करवाना चाहते है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 22 दिनांक 20.09.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	